न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 18/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर		1 दीपाराम पुत्र प्रतापराम जाट निवासी लालावास,खींवसर। 2 फालकी पत्नि दीपाराम जाट निवासी लालावास, खींवसर।

उपस्थिति–

1– श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

2– श्री पुरखाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 01-12-2017

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा लालावास की मिसल बन्दोबस्त संवत 2020 के खाता सं. 125 व 126 के अनुसार ग्राम लालावास के खसरा नं. 314 रकबा 3.10 व 316 रकबा 77.09 बीघा गै.मु. मगरा दर्ज रही है। जो जमाबंदी संवत 2058–61 में खसरा नं. 314 रकबा 3.10 बीघा व खसरा नं. 316 रकबा 56.10 बीघा गै.मु. मगरा भूमि रही है। ग्राम लालावास में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में आदेश क्रमांक 30 दिनांक 13.6.02 को गैर खातेदारी आधार पर आंवटन अप्रार्थीगण को किया गया। जिसका नामान्तरकरण सं. 510 खसरा नं. 314 रकबा 0.10 बीघा खसरा नं. 316/929 रकबा 3.10 बीघा दर्ज किया गया है। तत्पश्चात तहसीलदार के आदेश क्रमांक 872 दिनांक 18.12.10 के क्रम मे नामान्तरकरण सं. 758 के गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त आवंटन काजरी मेन्युअल की पालना के अभाव में आवंटन/नियमन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्तनीय है। अतः आवंटन व खातेदारी निरस्त कर भूमि वापस राजकीय दर्ज किये जाने हेतु यह रेफरेन्स राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से श्री पुरखाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब दिनांक 19.07.17 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ खतौनी मिसल बन्दोबस्त संवत 2020 की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत 2058–61 की फोटोप्रति, प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प का आवंटन आदेश दिनांक 13.6.02 की प्रति, आवंटन आदेश प्रारूप 5 "ख" नियम 20 की प्रति, नामान्तरकरण सं. 510 व 758 की फोटोप्रति, जमाबंदी, गिरदावरी संवत 2070–73 की प्रति व नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई है। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से रसीद सं. 29 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति, खतौनी संवत 2070–73 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, नकल खतौनी संवत 2022–25 तक की तथा नकल गिरदावरी संवत 2014–20 तक की पेश की गई।

(3) उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि –

(3)(1) मिसल बन्दोबस्त संवत् 2020 के खाता सं. 125 व 126 के अनुसार आराजी भूमि ग्राम लालावास के खसरा नं. 314 रकबा 3.10 बीघा व खसरा नं. 316 रकबा 77.09 बीघा गै.मु. मगरा दर्ज रही है। जो सवत 2058–61 में खसरा नं. 314 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नं. 316 रकबा 56.10 बीघा रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में केम्प लालावास में दिनांक 13.6.02 को उक्त आराजी में से खसरा नं. 314 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नं. 316/929 रकबा

अपर कलक्टर, नागौर

3.10 बीघा अप्रार्थीगण को आंवटन /नियमन किये जाने से नामान्तरकरण सं. 510 गैर खातेदारी व नामान्तरकरण सं. 758 गैर खातेदारी से खातेदार अंकित किया गया है।

(3)(2) राजकीय वकील द्वारा यह भी बताया गया कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज–6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर के मृदा संरक्षण मेन्युअल (Soil Survey Manual) के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां मृदा वर्गीकरण किया गया है। जिनमें से श्रेणी सं. 1 से 4 तक की भूमियों का आवंटन एवं नियमन किये जाने के लिये जिला कलक्टर की देखरेख में चिन्हीकरण के पश्चात जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति के अनुमोदन पश्चात ही आंवटन किये जाने के प्रावधान रहे है। तत्समय काजरी द्वारा भूमियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नही होने की स्थिति में राजस्व (ग्रुप–6) द्वारा दिनांक 28.5.02 को एक परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये गये कि जहां पर प्रतिबंधित 5 से 8 श्रेणी की भूमि उपलब्ध है या ऐसे गांव जहां श्रेणियों की पहचान खसरा नं. के अनुसार संभव नही है तथा कई स्थानों पर काजरी ने श्रेणियां निर्धारित नही की है। ऐसे क्षेत्रों में आवंटन योग्य भूमि चिन्हित करने के लिये तहसील स्तरीय भू चिन्हित समिति का गठन किया गया था तथा समिति की रिपोर्ट का जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति में प्रस्तावों पर विचार के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के तहत आवंटन नियमन की कार्यवाही की जा सकती थी। मगर उक्त आवंटन नियमन से पूर्व न तो तहसील स्तरीय समिति द्वारा भूमि का चिन्हिकरण किया गया है तथा न ही सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाया गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन/नियमन विधि विरूद्व है।

(3)(3) उक्त परिपत्र दिनांक 27.8.01 के तहत मगरा किस्म की भूमियों को नियमतिकरण नही किये जाने के निर्देश होते हुए भी नियमन/आवंटन किया गया हैं जो कानूनन गलत होने से निरस्तनीय है। ऐसी भूमि पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिये प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को पुनः भिजवाया जावे।

(4) वकील अप्रार्थीगण ने राजकीय वकील की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि –

(4)(1) प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार खीवसर ने बताया कि ग्राम लालावास तहसील खींवसर के हाल खसरा नं. 314 रकबा 3.10 बीघा, खसरा नं. 316 रकबा 77.9 बीघा गै.मु. मगरा दर्ज रही, जो खतौनी संवत 2020 के खाता सं. 125 व 126 के अनुसार है एवं खतौनी संवत 2058–61 में भी गै.मु. मगरा दर्ज है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में केम्प लालावास के आदेश क्रमांक 30 दिनांक 13.6.02 को आवंटी/अप्रार्थीगण को नियमन गैर खातेदारी में नामान्तरकरण सं. 510 सशर्त स्वीकार कर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया गया एवं तत्पश्चात प्रशासन गांवों के संग अभियान में 2010 में तहसीलदार खीवसर के आदेश सं. 872 दिनांक 10.12.10 की पालना में नामान्तरकरण सं. 758 भरकर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज कर दिया, जो आधार अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त होने से ही किया गया। अप्रार्थीगण का जवाब रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नं. 314 का रकबा 10 बिस्वा व खसरा नं. 316 का रकबा 3.10 बीघा पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से मौके पर कब्जा रहवासी ढाणी बाडा व काश्त बदस्तूर चला आने से ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। दोनो ही खसरान खसरा नं. 314 व 316 की भूमि संवत 2006 जागीर के समय से ही व 2020 में ही कदीमी कब्जा काश्त बदस्तूर के आधार पर ही खातेदारी में दर्ज हो जानी चाहिये थी, मगर सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल से दर्ज नही हो सकी, लेकिन कब्जा काश्त मौके पर खातेदारी की हैसियत लगातार रहता चला आया। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 केम्प लालावास में मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का पुरातन कदीमी मानकर नियमन किये गये। उसमें विधि की कोई अवहेलना उल्लघंन नही हुआ है।

अपर कलक्टर, नागौर

(4)(2) मौके पर पुरातन कदीमी कब्जा व काश्त बदस्तूर लगातार होने व साक्ष्य सबूत के आधार पर ही नियमन के बाद 2010 में खातेदारी भी दर्ज की गई एवं बिगौडी भी व शुल्क / कीमत भी रू. 4604/– जरिये रसीद सं. 0029/84655 दिनांक 29.6.02 को अप्रार्थीगण से वसूल कर लिये गये व उसके बाद भी बिगौडी जब तक ली गई, अदा करते आये। रेफरेन्स में वर्णित भूमि गै.मु. मगरा की भूमि है, जो किसी भी विधि से प्रतिबंधित नही है। इसलिये तो नामान्तरकरण सं. 510 गैर खातेदारी का व नामान्तरकरण सं. 758 भी खातेदारी का सही रूप से भरकर खतौनी में खातेदारी में होने का इन्द्राज किया गया।

(4)(3) इस प्रकार से रेफरेन्स, जवाब व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल, गिरदावरी खतौनी, नक्शा से पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार आवंटन/नियमन में काजरी मेन्युअल की पालना का उल्लेख कपोल कल्पित साबित है। पत्रावली में काजरी के नियमों की प्रति उपलब्ध नही है, जिससे रेफरेन्स निरस्तनीय है। इस उपबंध के अनुसार प्रार्थी ने काजरी मेन्युअल का जो हवाला दिया है, उसे पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है, जिससे रेफरेन्स खारिज होने योग्य होने से खारिज किया जावे। जैसा कि न्यायिक दृष्टांत 2017 आरआरडी 742 सरकार बनाम कुनीदेवी व अन्य में प्रतिपादित किया गया है।

(4)(4) रेफरेन्स भी समय सीमा बाबत प्रार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नही किया है। जैसा कि विधि में रेफरेन्स की चुनौती देने की समय सीमा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा आरआरटी 2017 (1) पृष्ठ सं. 73 में निर्णित किया है।

(4)(5) खसरा नं. 314 गत खसरा नं. 210 व 211 से व खसरा नं. 316 गत खसरा नं. 211 से बने है। खसरा नं. 210 (गत) अप्रार्थीगण के पिता व श्वसुर प्रतापराम पुत्र जालाराम के खातेदारी में व गत खसरा नं. 211 पर कब्जा काश्त पुरातन/कदीमी जागीर के समय से ही प्रतापराम व बडे पिता देवाराम पुत्र जालाराम का 6 बीघा पर बदस्तूर लगातार रहता चला आया है। जो मिलान क्षेत्रफल, नक्शा हाल भू प्रबन्ध गिरदावरी संवत 2014 से 2020 तक की से भली भांति साबित है व प्रमाणित है। इस प्रकार कदीमी/पुरातन कब्जा काश्त बतौर खातेदार की हैसियत से रहता चला आने से ही दोनो खसरान की भूमि 10 बिस्वा व 3.10 बीघा का सही नियमन हुआ है व सही रूप से खातेदारी में दर्ज हुई है। बाद नियमन के अप्रार्थीगण ने भूमि को विकसित करने पर हजारों रू. भी खर्च किये है। इस प्रकार एक बार खातेदारी के अधिकार प्रदान करने के बाद कानून की दृष्टि में खातेदारी निरस्त किसी भी सूरत में नही की जा सकती। इस बाबत अप्रार्थीगण द्वारा दृष्टांत/नजीरें आरआरडी 2012 पृष्ठ 223, 231 2010 आरआरडी 260, 2000 आरआरडी 52, 1996 आरआरडी 538, 616 व 2017 आरआरडी 742, 2017(1) आरआरटी 73 प्रस्तुत की गई है।

(5) राजकीय अधिवक्ता द्वारा वकील अप्रार्थीगण की बहस का जवाब देते हुए बताया गया कि रेफरेन्स के मामले में मियाद निर्धारित नही है तथा आवंटन/नियमन विधि विरूद्व होने से ऐसे आदेश को कभी भी चेलेन्ज कर निरस्त करवाया जा सकता है।

(6) उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के दौरान केम्प लालावास दिनांक 13.6.02 को अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम लालावास के खसरा नं. 314 व 316/929 में से 4.20 बीघा भूमि आवंटन/नियमन की गई। जिसकी खातेदारी नामान्तरकरण सं. 510 स्वीकृति दिनांक 11.11.02 के नये खसरे नं. 314 व 316/929 रकबा 4.20 बीघा कायम कर गैर खातेदारी दी गई है। तत्पश्चात नामान्तरकरण सं. 758 स्वीकृति दिनांक 18.12.10 के खातेदारी अधिकार दिये गये है। प्रश्नगत भूमि की किस्म गै.मु. मगरा होना मिसल बन्दोबस्त संवत 2020 व

अपर कलक्टर, नागौर

खतौनी संवत 2058–61 से स्पष्ट है। जिसकी पुष्टि खतौनी (जमाबंदी) संवत 2058–61 से रेकर्ड से होना स्पष्ट है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 27.8.01 के अनुसार चारागाह, वन, अंगौर, तालाब, जोहड, पायतन, पहाड, मगरा, भाकर आदि किस्म की भूमियों को सामान्यतः नियमितकरण नही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। जबकि आराजी किस्म की भूमि गै.मु. मगरा है। जो नियमितकरण योग्य नही होते हुए भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आवंटन/नियमन किया गया है। जो विधि विरूद्व है।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज–6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर के मृदा संरक्षण मेन्युअल (Soil Survey Manual) के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां मृदा वर्गीकरण किया गया है। जिनमें से श्रेणी सं. 1 से 4 तक की भूमियों का आवंटन एवं नियमन किये जाने के लिये जिला कलक्टर की देखरेख में चिन्हीकरण के पश्चात जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति के अनुमोदन पश्चात ही आंवटन किये जाने के प्रावधान रहे है। तत्समय काजरी द्वारा भूमियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नही होने की स्थिति में राजस्व (ग्रुप–6) द्वारा दिनांक 28.5.02 को एक परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये गये कि जहां पर प्रतिबंधित 5 से 8 श्रेणी की भूमि उपलब्ध है या ऐसे गांव जहां श्रेणियों की पहचान खसरा नंबर के अनुसार संभव नही है तथा कई स्थानों पर काजरी ने श्रेणियां निर्धारित नही की है। ऐसे क्षेत्रों में आवंटन योग्य भूमि चिन्हित करने के लिये तहसील स्तरीय भू चिन्हित समिति का गठन किया गया था तथा समिति की रिपोर्ट का जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति में प्रस्तावों पर विचार के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के तहत आवंटन नियमन की कार्यवाही की जा सकती थी। मगर उक्त आवंटन/नियमन से पूर्व उक्त भूमि की श्रेणी यथा 1 से 8 में से किस श्रेणी में आती है, का निर्धारण काजरी से नही करवाया है तथा न ही तहसील स्तरीय भूमि चिन्हीकरण समिति द्वारा प्रकरण जिला स्तरीय एलोटमेन्ट कमेटी को प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार आवंटन/नियमन से पूर्व काजरी मेन्युअल/भूमि चिन्हीकरण से संबंधित कार्यवाही अथवा तहसील स्तरीय भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही कर उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन किये बिना ही आवंटन/नियमन किया गया है। जो विधि विरूद्व है। जिसके अभाव में आवंटन/नियमन की कार्यवाही नही की जानी चाहिये थी।

(7) उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा लालावास के खसरा नंबर 314 व खसरा नं. 316 गैर मुमकिन मगरा में से वर्तमान खसरा नंबर 314 व 316/929 किस्म गै0मु0 मगरा रकबा 4.20 बीघा भूमि का प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति मुण्डवा प्रशासन गांवों के संग उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में केम्प लालावास पर जारी आवंटन आदेश दिनांक 13.6.2002 के द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आंवटन/नियमन व इसके आधार पर भरे गये ग्राम लालावास के नामान्तरकरण सं. 510 दिनांक 11.11.02 व नामान्तरकरण सं. 758 स्वीकृति दिनांक 18.12.2010 निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

(8) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर